संख्या-12/2025/वे0आ0-2-243/दस-2025-ई0प0सं0-10-27099/13/2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 14 मई, 2025**

विषय : वेतन समिति (2016) के तृतीय प्रतिवेदन (भाग-2) के माध्यम से सिंचाई विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में प्रदान की गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में वेतन समिति (2016) के तृतीय प्रतिवेदन (भाग-2) के माध्यम से दी गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा विचार कर दी गयी संस्तुतियों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संस्तुतियों पर निम्नवत निर्णय लिये गये हैं :-

(1) वेतन समिति (2016) की निम्नलिखित संस्तुतियों के संबंध में प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर विचारोपरांत निर्णय लिया जाये:-

(i) विभाग में विद्यमान आरमेचर बाइन्डर, पेन्टर, टरवाइन मिस्त्री, फिल्टर हाउस आपरेटर, बढ़ई, फिटर एवं पेंन्टर, मिस्त्री कम ड्राइवर, डुप्लीकेटिंग मशीन आपरेटर एवं रोड रोलर आपरेटर के अनुपयोगी पदों को तत्काल प्रभाव से मृत संवर्ग घोषित किया जाय। इसके फलस्वरूप वर्तमान में रिक्त पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे तथा ऐसे पद, जिनके सापेक्ष पदधारक कार्यरत हैं, इन पदधारकों द्वारा पदोन्नति, सेवा निवृत्ति अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त किये जाने पर यह पद समाप्त हो जायेंगे।

(ii) विभाग में टेलीफोन आपरेटर, वेट क्लर्क, टिण्डैल, नायब टिण्डैल, रनर पदनाम से विद्यमान 3412 पदों को तत्काल प्रभाव से मृत संवर्ग घोषित किया जाय।

(iii) राजस्व संवर्ग में विद्यमान उप राजस्व अधिकारी के 137 पदों में से रिक्त 45 पदों एवं जिलेदार के 600 पदों में से रिक्त 283 पदों को तत्काल प्रभाव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

से समाप्त कर दिया जाय। उप राजस्व अधिकारी एवं जिलेदार के कार्यक्षेत्र का पुनर्गठन कर नहरों एवं नलकूपों से आच्छादित पूरे क्षेत्रफल को उप राजस्व अधिकारी के शेष 92 पदों एवं जिलेदार के शेष 317 पदों के मध्य पुर्नविभाजित किया जाये। इन पदों हेतु शासनादेश दिनांक 05 जुलाई 2011 द्वारा निर्धारित ग्रेड वेतन के सापेक्ष पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में सादृश्य लेवल अनुमन्य हो रहें हैं, इन्हें यथावत् बनाये रखा जाय।

(iv) विभाग में विद्यमान मुंशी एवं हेड मुंशी के पदों को संविलीन कर मुंशी पदनाम से पद रखे जायें। हेड मुंशी के पदधारकों के बने रहने तक उन्हें हेड मुंशी पदनाम व मिल रहा वेतनमान यथावत् बनाये रखा जाय। भविष्य में मुंशी के कार्यक्षेत्र का पुर्नगठन कर उनके पदों की संख्या जिलेदार के पदों की सीमा अर्थात् 317 तक सीमित कर दिया जाय। शेष पदों को मृत्त संवर्ग घोषित कर दिया जाय। इसके फलस्वरूप मुंशी के 317 पदों को छोड़कर इनके अन्य पदों के सापेक्ष कार्यरत पदधारकों की पदोन्नति, सेवानिवृत्ति अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त किये जाने पर यह पद समाप्त हो जायेंगे और प्रत्येक जिलेदारी के स्तर पर एक मुंशी का पद उपलब्ध रहेगा। इन पदों हेतु निर्धारित ग्रेड वेतन के सापेक्ष पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में सादृश्य लेवल अनुमन्य हो रहें हैं, इन्हें यथावत् बनाये रखा जाय।

(v) नलकूप चालक एवं सींचपाल के पदों को मृत संवर्ग घोषित कर दिया जाय। इसके फलस्वरूप इनके वर्तमान में रिक्त क्रमशः 1047 एवं 960 पद तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जायेंगे। शेष रह गये पदों, जिनके सापेक्ष वर्तमान में पदधारक तैनात हैं, की सेवानिवृत्ति/पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने वाले पद भी तदनुसार समाप्त हो जायेंगे। वर्तमान में कार्यरत पदधारकों हेतु निर्धारित ग्रेड वेतन के सापेक्ष पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में सादृश्य लेवल अनुमन्य हो रहे हैं, इन्हें यथावत् बनाये रखा जाय। विभाग, नलकूप संचालन की व्यवस्था एक एम०ओ०यू० द्वारा स्थानीय पंचायत के माध्यम से करने पर विचार कर सकता है।

(vi) विभाग में विद्यमान डिस्पेन्सरीज को चिकित्सा विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जाय। वर्तमान में इन डिस्पेन्सरीज में विद्यमान पदों के सापेक्ष कार्यरत पदधारकों के चिकित्सा विभाग में समायोजन में कठिनाई होने पर इन पदों को मृत संवर्ग घोषित किया जाय।

(vii) विभाग में स्थापित प्राइमरी विद्यालयों को बेसिक शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जाय। वर्तमान में इन विद्यालयों में विद्यमान पदों के सापेक्ष कार्यरत पदधारकों के बेसिक शिक्षा विभाग में समायोजन में कठिनाई होने पर इन पदों को मृत संवर्ग घोषित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) विभागीय शासनादेश दिनांक 13 फरवरी 1998 द्वारा मृत संवर्ग घोषित किये जा चुके सर्वेयर एवं सहायक सर्वेयर के पदों को पुनर्जीवित न किया जाय।

(3) विभाग में विद्यमान अभियन्त्रण संवर्ग, वास्तुविद् संवर्ग तथा वैज्ञानिक संवर्ग के पदों हेतु निर्धारित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के सापेक्ष पुनरीक्षित वेत्तन मैट्रिक्स में सादृश्य लेवल अनुमन्य हो रहे हैं, इन्हें यथावत् बनाये रखा जाय।

(4) विभाग में विद्यमान जल लेखा सहायक एवं वरिष्ठ जल लेखा सहायक के पदों हेतु निर्धारित ग्रेड वेतन के सापेक्ष पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में सादृश्य लेवल अनुगन्य हो रहें हैं, इन्हें यथावत् बनाये रखा जाय।

(5) विभाग में विद्यमान भण्डारपाल संवर्ग सामान्य कोटि का पद है। सामान्य कोटि के पदों के सम्बन्ध में अलग से संस्तुतियाँ प्रस्तुत की जा चुकी हैं। इन संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय से विभाग के उक्त पद भी आच्छादित होंगे।

(6) विभाग में विद्यमान अन्य पदों के सम्बन्ध में कोई विसंगति इंगित नहीं की गयी है। अतः इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में अनुमन्य हो रहे लेवल को यथावत् बनाये रखा जाय।

2- कृपया उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु यथावश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-12/2025/वे0आ0-2-243(1)/दस-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

(2) कार्मिक नियमावली सेल।

आज्ञा से,

पुष्पराज,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।